न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0- 36/2021
अनवान :-

ग्रामवासी रामसरा तहसील नोहर जरिये।

1. रमजान खां पुत्र बगु खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. रामुराम पुत्र लेखुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. हजारीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. लालचन्द पुत्र दुलाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. पृथ्वीराम पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. राजेराम पुत्र सुणाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. रोहिताश पुत्र पृथ्वीसिह जाति विश्नोई निवासी रामसरा तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सावित्री पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री महेश चन्द्र शर्मा अभिभाषक, प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल
निर्णय दिनांक : 29/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 एनटीआर में सायल संख्या 1 के नाम रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 65 में सयुक्त 21 खातेदारो के साथ 5241/61985 हिस्सा , 5241/61985 हिस्सा व खाता संख्या 62 में सयुक्त खाता मे सायल संख्या 2 का 1/5 हिस्सा , सायल संख्या 4 की भूमि एवं खाता संख्या 85 के शामिल खाता में 1/5 हिस्सा एव खाता संख्या 73 में सयुक्त खाता में सायल 5 का 377/1012 हिस्सा , व खाता संख्या 9 मे सयुक्त खाता मे 1/5 हिस्सा एवं खाता संख्या 88 मे सयुक्त खाता में 1/8 हिस्सा है इसप्रकार रोही मौजा चक 24 ,26 एनटीआर में सयुक्त खाते में सायलान के नाम भूमि दर्ज है।

रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 118 के प0न0 337/416(18) के किला न0 16 ,25 व प0न0 327/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 में कुं 1.1890हैक नहरी व 0.0760हैक गै0मु0खाला भूमि वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है।

रोही मौजा चक 26 एनटीआर में तहसील नोहर का ग्राम रामसरा बसा हुआ है तथा चिपते ही रोही मोजा चक 24 एनटीआर की कृषि भूमि है चक 24 एनटीआर में आवागमन हेतु सैकडो काश्तकारो को कोई मन्जुर शुद्दा रास्ता नही है

गत 60-70 सालो से गांव की आबादी मे ही प0न0 327/416(18) के किला न0 16 ,25 तथा प0न0 327/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 ,25 पडते थे जिसे प0न0 327/416(18) के किला न0 16-25 के पूर्वी पासा की 2-2 बिश्वा मुख्य रास्ता था जो गैरसायल के नाम से दर्ज है जिसमें से निरन्तर निर्वहन रूप से चला आ रहा था किन्तु मंजुरशुद्दा न होने के कारण गैरसायल पुरे गांव को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ता में अवरोध पेदा करता है जिससे सायलान व पुरे गांव को पांच छ किलोमीटर दुरी का रास्ता तय करके अपने खेत में जाते है।

गैरसायल ने पूर्व में उक्त रास्ता में अवैध पैदा करने के लिये एक दावा व प्रार्थना पत्र सावित्री देवी बनाम उपखण्ड अधिकारी नोहर व तहसीलदार नोहर के विरूद्व न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सिविल न्यायाधीश नोहर में पेश करके स्थगन ले लिया जिसकी वजह से ग्रामवासियो के मध्य विवाद की आंशका बढ गई स्थगन आदेश जारी किये जाने के बाद कानुनी कार्यवाही की तो सिविल न्यायाधीश ने दिनांक 01.11.2021 को ग्रामवासीयो को फरीक बनाते हुए " मामला खेतो में आने जाने के रास्ता से सम्बध मे है इसलिये मामला राजस्व न्यायालय से जुडा अतः प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश दिया जाता है कि विधि अनुसार कार्य करे।

सिविल न्यायालय का आदेश पारित होने पर ग्रामवासीयो ने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

रोही मोजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327/416(18) के किला न0 16 ,25 के पूर्वी पासा की दो–दो बिश्वा अर्थात 0.025हैक्ट रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे जिसका मुआवजा ग्रामवासी देने का तेयार है।

गैरसायला आम रास्ता जो सदामत से चला आ रहा है जो पूर्व में आबादी में ही था किन्तु वाद भूमि गैरसायल ने आवंटन करवाकर खातेदारी करवा ली किन्तु उक्त रास्ता ग्रामवासीयो के आवागमन का एक मात्र रास्ता है इसलिये ग्रामवासीयो के आवागमन की सुविधा हेतु उक्त रास्ता स्वीकार करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायला को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायला जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की
रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 117/111 के प0न0 327/416(18) के किला न0 16–25 व प0न0 237/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 कुल 1.1890हैक्ट का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 26 एनटीआर में रामसरा गांव बसा हुआ है परन्तु इसके अतिरिक्त चक 26 एनटीआर में अन्य काश्तकारों सहित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि भी स्थित है चक 24 एनटीआर की भूमि के लिये दुसरे चक 26 एनटीआर में कानुनी तौर से रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है केवल चक 24 एनटीआर मे ही रास्ता स्वीकार किया जा सकता है रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 117/111 के प0न0 327/416(18) के किला न0 16–25 व प0न0 237/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 कुल 1.1890हैक्ट गैरसायला के नाम से दर्ज है जिसमें कोई रास्ता नही है ना ही किसी चालू रहा है गैरसायला सीमान्त कृषक रास्ता स्वीकार करने से गैरसायला की भूमि दो भागो में बट जाती है जिससे गेरसायला के खेत के टूकडे हो जाते है जिससे काश्त करने में परेशानी होती है सिविल न्यायालय ने भी गैरसायला के खेत में से रास्ता निकालने से निषिद्व किया हुआ है वाद विचाराधीन है जिसके विचाराधीन रहते रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है रोही मोजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332/417(8) के किला न0 5, 6, 15 ,16 ,25 में पूर्व से रास्ता स्वीकृत है तथा प0न0 332/417(5) के कला न0 5 ,15 ,16 ,25 की भूमि जो चक 24 एनटीआर में रास्ता मंजर करवा सकते है जो मुख्य सडक से मात्र एक मुरब्बा की दुरी पर है दुसरे चक 26 एनटीआर में रास्ता पूर्व से मुरब्बाबन्दी व किलाबन्दी के समय से ही नही है तथा प0न0 333/419 व प0न0 332/419 ,प0न0 331/419 ,330/419 ,329/328 , 328/419 में पूर्व से रास्ता मौजुद है जो चक 24 एनटीआर से आबादी में आता है इसके अलावा अन्य कई रास्ते आबादी में जाते है जिससे चक 24 एनटीआर के काश्तकारो आवागमन करते है।
गैरसायला अकेली औरतजात होने व गरीब व सीमान्त कृषक होने का फायदा उठाकर जबरीया अप्रार्थीया के खेत में से रास्ता निकालना चाहते है जबकि गेरसायला के खेत में कोई रास्ता नही है ना ही पूर्व में था प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि भी नही दे रहे है जिससे प्रार्थीया की भूमि कम हो जायेगी जिससे गैरसायला को भारी नुकसान होता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया गया तथा तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायलान (ग्रामवासी रामसरा) के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर में तहसील नोहर का ग्राम रामसरा बसा हुआ है तथा चिपते ही रोही मौजा चक 24 एनटीआर की कृषि भूमि है चक 24 एनटीआर मे आवागमन हेतु सैकडो काश्तकारो को कोई मन्जुर शुद्दा रास्ता नही है

गत 60–70 सालो से गांव की आबादी मे ही प0न0 327/416(18) के किला न0 16 ,25 तथा प0न0 327/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 ,25 पडते थे जिसे प0न0 327/416(18) के किला न0 16–25 के पूर्वी पासा की 2–2 बिश्वा मुख्य रास्ता था जो गैरसायल के नाम से दर्ज है जिसमें से निरन्तर निर्वहन रूप से चला आ रहा था किन्तु मंजुरशुद्दा न होने के कारण गैरसायल पुरे गांव को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ता में अवरोध पेदा करता है जिससे सायलान व पुरे गांव को पांच छ किलोमीटर दुरी का रास्ता तय करके अपने खेत में जाते है।

गैरसायल ने पूर्व में उक्त रास्ता में अवरोध पैदा करने के लिये एक दावा व प्रार्थना पत्र सावित्री देवी बनाम उपखण्ड अधिकारी नोहर व तहसीलदार नोहर के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर में पेश करके स्थगन ले लिया जिसकी वजह से ग्रामवासियो के मध्य विवाद की आंशका बढ गई स्थगन आदेश जारी किये जाने के बाद कानुनी कार्यवाही की तो सिविल न्यायाधीश ने दिनांक 01.11.2021 को ग्रामवासीयो को फरीक बनाते हुए " मामला खेतो में आने जाने के रास्ता से सम्बध मे है इसलिये मामला राजस्व न्यायालय से जुडा अतः प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश दिया जाता है कि विधि अनुसार कार्य करे।

सिविल न्यायालय का आदेश पारित होने पर ग्रामवासीयो ने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

रोही मोजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327/416(18) के किला न0 16 ,25 के पूर्वी पासा की दो–दो बिश्वा अर्थात 0.025हैक रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे जिसका मुआवजा ग्रामवासी देने का तेयार है।

गैरसायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 117/111 के प0न0 327/416(18) के किला न0 16–25 व प0न0 237/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 कुल 1.1890हैक का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 26 एनटीआर में रामसरा गांव बसा हुआ है परन्तु इसके अतिरिक्त चक 26 एनटीआर में अन्य काश्तकारों सहित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि भी स्थित है चक 24 एनटीआर की भूमि के लिये दुसरे चक 26 एनटीआर में कानुनी तौर से रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है केवल चक 24 एनटीआर में ही रास्ता स्वीकार किया जा सकता है रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 117/111 के प0न0 327/416(18) के किला न0 16–25 व प0न0 237/417(25) के किला न0 5 ,6 ,15 कुल 1.1890हैक गैरसायला के नाम से दर्ज है जिसमें कोई रास्ता नही है ना ही किभी चालू रहा है गैरसायला सीमान्त कृषक रास्ता स्वीकार करने से गैरसायला की भूमि दो भागो में बट जाती है जिससे गेरसायला के खेत के टूकडे हो जाते है जिससे काश्त करने में परेशानी होती है सिविल न्यायालय ने भी गैरसायला के खेत में से रास्ता निकालने से निषिद्व किया हुआ है वाद विचाराधीन है जिसके विचाराधीन रहते रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है रोही मोजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332/417(8) के किला न0 5, 6, 15 ,16 ,25 में पूर्व से रास्ता स्वीकृत है तथा प0न0 332/417(5) के कला न0 5 ,15 ,16 ,25 की भूमि जो चक 24 एनटीआर में रास्ता मंजर करवा सकते है जो मुख्य सडक से मात्र एक मुरब्बा की दुरी पर है दुसरे चक 26 एनटीआर मे रास्ता पूर्व से मुरब्बाबन्दी व किलाबन्दी के समय से ही नही है तथा प0न0 333/419 व प0न0 332/419 ,प0न0 331/419 ,330/419 ,329/328 , 328/419 में पूर्व से रास्ता मौजुद है जो चक 24 एनटीआर से आबादी में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आता है इसके अलावा अन्य कई रास्ते आबादी में जाते है जिससे चक 24 एनटीआर के काश्तकारो आवागमन करते है।

गैरसायला अकेली औरतजात होने व गरीब व सीमान्त कृषक होने का फायदा उठाकर जबरीया अप्रार्थीया के खेत में से रास्ता निकालना चाहते है जबकि गैरसायला के खेत में कोई रास्ता नही है ना ही पूर्व में था प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि भी नही दे रहे है जिससे प्रार्थीया की भूमि कम हो जायेगी जिससे गैरसायला को भारी नुकसान होता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार सायलान रोही मौजा चक 24- 26 एनटीआर के काश्तकार है

सायलान का कथन है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर में गांव रामसरा की आबादी है गाव रामसरा की आबादी से रोही मोजा चक 24 एनटीआर के काश्तकारों रोही मौजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327/416(18) के किला न0 16-25 में से होकर आगे रोही मौजा चक 26 एनटीआर से स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर रोही मौजा चक 24 एनटीआर के भूमीयो में प्रवेश करते है यही रास्ता रोही मौजा चक 24 एनटीआर के काश्तकारो के लिये सूविधाजनक है एवं वर्षो से चलता रहा था किन्तु उक्त रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायला ने अवरूद्ध कर दिया है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है एवं रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा भी ग्रामवासी देने को तेयार है प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायलान का कथन उचित प्रतीत होता है।

गैरसायला का कथन है कि गैरसायल एक सीमान्त कृषक है जिसकी भूमि में से कोई रास्ता नही है ग्रामवासी रंजिशवश जबरदस्ती रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है यदि उक्त रास्ता स्वीकार किया जाता है तो गैरसायल की भूमि दो भागों में बट जावेगी और गैरसायला को भूमि काश्त करने में परेशानी होगी रोही मौजा चक 24 एनटीआर के काश्तकारो के लिये रोही मौजा 26 एनटीआर के काश्तकार की भूमि में से रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है तथा सिविल न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकार करने से निषिद्ध करने के आदेश है तथा रोही मौजा काश्तकारो के लिये अन्य रास्ता उपलब्ध है इसलिये गैरसायला के खेत में से रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है गैरसायला का कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नही है किसी भी काश्तकार को उनकी भूमियो तक पहुचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है चक सीमा बाधा नही बन सकती है तथा गैरसायला ने सायलान को अन्य रास्ता होना अंकित किया गया है किन्तु अपने कथनो के समर्थन में कोई नजरी नक्शा पेश नही किया गया जिससे रोही मोजा चक 24 एनटीआर के काश्तकारो के काश्तकारो के लिये रास्ता उपलब्ध हो तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार निर्णीत हो चुका है व राजस्व न्यायालय को रास्ता स्वीकार करने के लिये विधि अनुरूप सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम रामसरा रोही मौजा चक 26 एनटीआर में बसा हुआ है जिसके एक मुरब्बा दुरी पर रोही मौजा चक 24 एनटीआर है जिसके काश्तकार ग्राम रामसरा मे निवास करते है।

ग्राम रामसरा ने चिपते हुए गैरसायला की भूमि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327/416(18) में बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसके किला न0 25 के चिपते ही रोही मौजा चक 26 एनटीआर के प0न0 328/417(26) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.038हैक्ट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके पर चालू भी है

तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है कि गैरसायला की भूमि के प0न0 327/416(18) के किला न0 16 ,25 में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो गांव रामसरा की आबादी और स्वीकृत रास्ता को जोड देता है जिससे रोही मौजा चक 24 एनटीआर के काश्तकार अपनी भूमि तक आवागमन कर सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 24 एनटीआर के काश्तकारो को उनकी भूमि तक जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है तथा काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सुगम एवं सुविधाजनक रास्ता ग्रामवासीयो के द्वारा चाहा गया है उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार नोहर के मौका नजरीया नक्शा के अनुसार ग्रामवासीयो के आवागमन के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य /सबुतों /नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327/416 (18) के किला न0 16-25 के पूर्वी पारा में दो- दो गठठा (0.025है0) रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/3/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2022 / 934 दिनांक 29/03/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बंध में प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2021 निर्णय दिनांक 29/03/2022

अनवान :–

अनवान :–

ग्रामवासी रामसरा तहसील नोहर जरिये।

1. रमजान खां पुत्र बगु खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2 मोहनलाल पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. रामुराम पुत्र लेखुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. हजारीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र दुलाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. पृथ्वीराम पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. राजेराम पुत्र सुणाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. रोहिताश पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी रामसरा तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सावित्री पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी जराना तहसील नोहर।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के प0न0 327 / 416 (18) के किला न0 16–25 के पूर्वी पासा में दो– दो गठठा (0.025हैक) रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा सायलान गैरसायलान को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करेंगे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner